



THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227267 * Fax 0141-2227257

Website: industries.rajasthan.gov.in/rajsico

e-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:- U91110RJ1961SGC001118

वातानुकूलित यन्त्रों के रख रखाव

सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2020-21

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०,

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम,

जयपुर-302005

राजस्थान लघु उद्योग निगम लि० (राजसिको) एवं जयपुर स्थित इकाईयों में वातानुकूलित यन्त्रों के रख रखाव सम्बन्धी अनुबन्ध की निविदादाता हेतु विस्तृत शर्तः—

1. निविदादाता को राजस्थान लघु उद्योग निगम लि० (राजसिको) एवं जयपुर स्थित इकाईयो के वातानुकूलित यन्त्रों के रख रखाव व मरम्मत का कार्य करना होगा।
2. निविदादाता को प्रत्येक 15 दिवस से संबंधित यन्त्रों की देख रेख व रख रखाव हेतु राजसिको, मुख्यालय एवं जयपुर में स्थित इकाईयो में विजिट का कार्य करना अनिवार्य होगा। विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा की आप द्वारा संयंत्रों के रख रखाव का कार्य नहीं किया गया है। इस कारण उक्त अवधि की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। निविदा में देय राजसिको एवं संबंधित इकाईयों के सभी एयर कण्डीशनरों की पूर्ण सर्विस वर्ष में तिमाही के आधार पर की जायेगी।
3. मुख्यालय एवं इकाईयो द्वारा आवश्यकतानुसार अवगत कराने पर निविदादाता को संबंधित यन्त्रों को अधिकतम 3 दिन की अवधि में ठीक करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा देख रेख के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण गैस लीक होने पर अपने स्तर से ठीक करानी होगी जिसका व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
5. रख-रखाव के समय हुये किसी भी प्रकार के नुकसान का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष निविदादाता का होगा।
6. उपरोक्त में से कोई यन्त्र मरम्मत के लिए कार्यालय से बाहर ले जाना आवश्यक होने पर निविदादाता को उसकी एवज में दूसरा यन्त्र उक्त समयावधि के लिए कार्यालय में स्थापित करना होगा।
7. निविदादाता द्वारा कोई यन्त्र मरम्मत के लिए कार्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति में अधिक से अधिक सात दिवस में पुनः कार्यालय में स्थापित करना होगा। उक्त यन्त्र बाहर ले जाने व पुनः स्थापित करने का समस्त खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. निविदादाता द्वारा कोई यन्त्र कार्यालय से बाहर ले जाने की स्थिति में मार्ग में दुर्घटना ग्रस्त हानि अन्य या किसी प्रकार का नुकसान तथा चोरी आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा मरम्मत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने पर रू० 500/- प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना निगम/निगम की इकाईयो में जमा कराना होगा।
10. कार्य संतोषप्रद न होने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
11. सफल निविदादाता को रू० 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा में देय शर्तों का अनुबंध करना होगा।
12. निविदादाताओं को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में किसी तरीके के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र (कम से कम 5 कार्यालय का) पेश करना अनिवार्य है। जिसमें कम से कम दो वर्ष तक संतुष्टि पूर्ण कार्य किया हो।
13. मशीन के कल पूर्ण इत्यादि की सर्विस मरम्मत का कार्य अनुबन्धित फर्म को स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
14. वातानुकूलित यन्त्रों के खराब कल पूर्ण ओरीजनल फर्म के अनुबन्धित फर्म को स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगे।

15. किसी भी विवाद के संबंध में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का निर्णय अन्तिम मान्य होगा।
16. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा लिफाफे पर कार्य का नाम स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा। निविदादाता को निविदा देने से पूर्व अमानता राशि के रूप में 4000/- अक्षरों चार हजार रुपये की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी जो निविदा स्वीकार नहीं होने पर लौटा दी जावेगी। निविदा स्वीकार होने पर यह राशि अमानता की राशि में समायोजित करली जावेगी। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
17. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु निम्न पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी होगी फर्म का दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन/सेवाकर (जो भी लागू हो)/पार्टनशिप डीड, पावर आफ एटोर्नी कार्यका अनुभव प्रमाण पत्र।
18. सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी। उक्त राशि अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बिना किसी ब्याज के लौटाई जावेगी। यदि निगम/निगम की इकाईयों के अनुबंध अवधि में अनुबंधकर्ता की लापरवाही से किसी प्रकार की हानि होती है तो उक्त हानि की वसूली अनुबंध कर्ता से धरोहर राशि से कर ली जावेगी।
19. अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुबंधकर्ता द्वारा समस्त संयन्त्रों का चार्ज बिल्कुल सही सलामत संचालित हालत में नए अनुबंधकर्ता को संभालना होगा।
20. फर्म का संतोषजनक कार्य होने के उपरान्त ही भुगतान त्रैमासिक बिल के आधार पर देय होगा।
21. अनुबंध अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से यह एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। तथा आगे के लिए समय बढ़ाने हेतु और विचार किया जा सकता है।

निगम मुख्यालय एवं निविदा में अंकित इकाईयों के रख रखाव का कार्य उपरोक्त शर्तों पर करने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

पूरा पता:

स्थानीय पता:

स्थायी पता:

उपरोक्त निविदा से सम्बंधित सभी शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली हैं और ये शर्तें निर्दिष्ट कार्य मुझे/हमें स्वीकार है उक्त कार्य हेतु रु० वार्षिक होंगे जिन्हें त्रैमासिक किस्तों में प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम/फर्म

स्थायी पता

दूरभाष नंबर

निविदा दरें

राजसिको,(मुख्यालय) जयपुर, आई0सी0डी0, सांगानेर, एयर कार्गो काम्पलेक्स, सांगानेर,एंव राजस्थली एम0आई0 रोड, जयपुर में लगें वातानुकूलित यन्त्रों, प्लांट, स्पिलिट ए0सी0 के वार्षिक रख रखाव वर्ष 2020-21 के लिए संलग्न देय शर्तों पर सहमति व्यक्त करने हुए मैं निम्न दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।

क्र0 स0	इकाई का नाम	वतानुकूलित यन्त्र व क्षमता	मात्रा	दर प्रति नग	कुल राशि
1.	राजसिको, उद्योग भवन, जयपुर	1. विण्डो एयर कण्डीशनर 1.5 टन (विभिन्न कंपनीयो के)	3 नग		
		2. स्पिलिट ए0सी0 1.5 टन	2 नग		
		3. डेकिन ए0सी0 1.8 टन	4 नग		
		4. डेकिन ए0सी0 1.5 टन	4 नग		
2.	आई0सी0डी0 सांगानेर	वातानुकूलित यन्त्र वोल्टाज विण्डो	8 नग		
3.	एयर कार्गो काम्पलेक्स, सांगानेर	वातानुकूलित यन्त्र वोल्टाज विण्डो 2.0 टन	4 नग		
		वातानुकूलित यन्त्र वोल्टाज विण्डो 1.5 टन	6 नग		
4.	राजस्थली, एम0आई0 रोड, जयपुर	1 हिटेची वातानुकूलित (एस0आइ0टी0सी0ए0सी0) 16.4 टन	1 नग		
		1 हिटेची वातानुकूलित (एस0आइ0टी0सी0ए0सी0) 11 टन	4 नग		
		डेकिन ए0सी0 1.5 टन	16 नग		
		कुल योग	52		

जीएसटी पृथक से दर्शायी जानी है।

हस्ताक्षर

निविदादाता का पता.....

.....

.....

दूरभाष/मोबाइल नम्बर

जयपुर दिनांक

2020

निविदा फार्म

1. प्रेषक

क	निविदा प्राधिकारी का नाम	
ख	पता	
ग	दूरभाष नम्बर	
	फैक्स नम्बर	

2. निविदा संदर्भ: राजसिको/ए0सी0/2020-21

दिनांक

3.

क	निविदादाता का नाम (फर्म का नाम)	
ख	संबंधित व्यक्ति का नाम	
ग	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ	दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल नम्बर	
ड	फैक्स नं	

4. दी गई दरें अनुबंध में अंकित दिनांक से 12 माह के लिए प्रभावी होगी तथा इन दरों व अनुबंध को आपसी सहमति से फर्म की संतोषप्रद सेवाओं के प्रमाण-पत्रों के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

5. अमानत राशि जमा कराने का विवरण:-

	अमानत राशि जमा	संख्या	दिनांक
क	ड्राफ्ट/बैंकर चैक (स्थानीय)		

6. आयकर, क्लियरेन्स प्रमाण-पत्र/टैक्स क्लियरेन्स प्रमाण पत्र